

## NOTIFIED RECRUITMENT RULES

CAPT, Bhopal, Group 'C' posts

### INDEX

<b>Sl. No.</b>	<b>Name of the Post</b>	<b>Page</b>
1.	Stenographer Grade-III	01 – 04
2.	Telephone Operator	05 – 07
3.	Library Assistant	08 – 11
4.	Cook-cum-Helper	12 – 15
5.	Electrician	16 – 19
6.	Data Entry Operator	20 – 24
7.	Head Constable	25 – 28
8.	Constable (Band)	29 – 32
9.	Constable	33 – 36
10.	Syce	37 – 40
11.	Training Attendant	41 – 44
12.	Wireless Operator	45 – 49
13.	Nursing Orderly	50 – 53
14.	Ferrier	53 – 57
15.	Veterinary Compounder	58 – 61
16.	Bhisti (Outdoor Training Activities)	62 – 63
17.	Constable (Demo Platoon)	66 – 70
18.	Driver	71 – 74
19.	Laboratory Attendant	75 – 79

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	<p><b>Deputation:</b></p> <p>Officer of the Central or State Government: -</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with three years' regular service in the level I2 (Rs. 19900-63200/-) in the Pay Matrix in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with five years' regular service in the level I (Rs. 18000-56900) in the Pay Matrix in the parent cadre or Department; and</p> <p>(iv) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Not applicable	Not applicable

[F. No. 23011/205/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 460.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में आशुलिपिक श्रेणी-III के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, (आशुलिपिक श्रेणी-III) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता.—वह व्यक्ति, —  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की सविदा की है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की सविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-III	05* (2017) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 5 (29200-92300/- रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
<p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्रीय या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हों; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रु.) में अपने मूल काडर या विभाग में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों— <b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं पास या समतुल्य। (ii) आशुलिपि (हिंदी या अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति। (iii) कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान। <b>टिप्पणी 1 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस</p>

नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. 23011/218/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21<sup>st</sup> December, 2017

**G.S.R. 460.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade III in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal (Stenographer Grade III), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stenographer Grade - III	05* (2017)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level - 5 (Rs. 29200-92300/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	<p><b>Deputation:</b></p> <p><b>Officers of Central or State Government: -</b></p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years' service in level-4 (Rs. 25500-81100/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) 12<sup>th</sup> Class or equivalent pass from a recognised Board.</p> <p>(ii) possessing speed of 80 words per minute in shorthand (English or Hindi).</p> <p>(iii) working knowledge of computer.</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Not applicable	Not applicable

[F. No. 23011/218/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

	<p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं:-</p> <p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं पास अथवा समतुल्य।</p> <p>(ii) सरकारी प्राधिकृत समुत्थान से इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच ऐक्सचेंज (ई.पी.ए.बी.एक्स.) में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>(i) कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान।</p> <p>(ii) हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोलने में प्रवीणता।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>Telephone Operator</p>
--	--	---------------------------

[फा. सं.-23011/203/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 16th January, 2018

**G.S.R.27**.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Telephone Operator in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal (Telephone Operator) Recruitment Rules, 2018.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.
- Disqualifications.**—No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Telephone Operator	01* (2018)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 3 (Rs. 21700-69100/-).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	<p><b>Deputation:</b></p> <p>Officer of the Central or State Police Organisation: -</p> <p>(a) holding analogous post after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or department.</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p><b>Essential :</b></p> <p>(i) 12<sup>th</sup> class or equivalent pass from a recognised Board.</p> <p>(ii) one year's experience in handling Electronic Private Automatic Branch Exchange from a government authorised concern.</p>	Not applicable	Not applicable.

	<p><b>Desirable:</b></p> <p>(i) working knowledge of computer.</p> <p>(ii) spoken language proficiency in English and Hindi.</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--

[F. No. 23011/203/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

**सा.का.नि.28.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में अनुदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (अनुदेशक) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।



(12)	(13)
<b>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b> (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman (2) Inspector General, Sashastra Seema Bal -Member (3) Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs -Member; and (4) Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal -Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.
<b>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</b> (1) Inspector General, Sashastra Seema Bal -Chairman (2) Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs -Member; and (3) Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal -Member.	

[F. No.17/3/SSB/CSC/Area/Gp 'A'/2017/SFS]

R.B.S. NEGI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

सा.का.नि.307.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में पुस्तकालय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (पुस्तकालय सहायक), भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हो या विवाह की सम्बिदा की हो, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की सम्बिदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करनेकी शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पुस्तकालय सहायक	01* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसूचित्वीय	लेवल 3 (रु. 21700-69100/-)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
<b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन कार्य कर रहे ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु. 19900-63200/-) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा की हो। (ख) जो पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री रखते हों। (ग) जो कम्प्यूटर पर काम करने का ज्ञान रखते हों। <b>टिप्पण 1.</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 2.</b> प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. 23011/132/2017-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 20th September, 2018

**G.S.R.307.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Assistant in the Central Academy of Police Training, Bhopal, Bureau of Police Research and Development under the Ministry of Home Affairs, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Academy of Police Training, Bhopal (Library Assistant) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, Classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Library Assistant	01* (2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 (Rs. 21700 – 69100/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
<b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Government or Union territory administration : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

- (ii) with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-2 of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) Possessing a Bachelor Degree in Library Science
- (c) having working knowledge of Computer.

**Note 1.** The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

**Note 2.** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the applications.

If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Not applicable

[F. No. 23011/132/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

### अंतरिक्ष विभाग

नई बेगलूर, 5 सितम्बर, 2018

**सा.का.नि.308.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग तथा अंतरिक्ष विभाग (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के केंद्रों के नियंत्रक) भर्ती नियम, 2004 तथा 2009 के अधिक्रमण में, अब तक, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व, इन मामलों में किए गए या विलोपित कार्यों के अलावा, इसके द्वारा अंतरिक्ष विभाग में इसरो के केंद्रों के नियंत्रक की भर्ती प्रक्रिया तथा पदनाम को विनियमित करने हेतु राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे कि:—

- लघु शीर्षक और आरंभ.**—इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग (इसरो केंद्रों के नियंत्रक) भर्ती नियम, 2018 कहा जाए।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के 2 से 4 कॉलम में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि.**—उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता.**—कोई भी ऐसा व्यक्ति,

क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है

अथवा

ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू सार्वजनिक कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

**5. छूट देने का अधिकार.**—जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों से, इस संबंध में यथा समय केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य छूटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित आदेशों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## (पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

सा.का.नि. 74.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में रसोईया-राह-सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (रसोईया-राह-सहायक), भर्ती नियम, 2018 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपायुक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) के स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो;

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रसोईया-राह-सहायक	10* (2018) (*केंद्रभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित।	स्तर - 3 (रु. 21700-69100/-)।	लागू नहीं होता।

श्री श्री श्री किणु जाने वाले अधिकारों के लिए आयु-सीमा	श्री श्री श्री किणु जाने वाले अधिकारों के लिए अन्य अधिकार	श्री श्री श्री किणु जाने वाले अधिकारों के लिए आयु और अधिक अधिकार	श्री श्री श्री किणु जाने वाले अधिकारों के लिए आयु और अधिक अधिकार
(6)	(7)	(8)	(9)
आयु नहीं होता।	आयु नहीं होता।	आयु नहीं होता।	आयु नहीं होता।

श्री श्री श्री किणु जाने वाले अधिकारों के लिए आयु-सीमा	श्री श्री श्री किणु जाने वाले अधिकारों के लिए आयु-सीमा	श्री श्री श्री किणु जाने वाले अधिकारों के लिए आयु-सीमा	श्री श्री श्री किणु जाने वाले अधिकारों के लिए आयु-सीमा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति	आयु नहीं होता।	आयु नहीं होता।
श्री श्री श्री किणु जाने वाले अधिकारों के लिए आयु-सीमा	श्री श्री श्री किणु जाने वाले अधिकारों के लिए आयु-सीमा	श्री श्री श्री किणु जाने वाले अधिकारों के लिए आयु-सीमा	श्री श्री श्री किणु जाने वाले अधिकारों के लिए आयु-सीमा

13

## [BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT]

New Delhi, the 7<sup>th</sup> March, 2018

G.S.R. 74.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cook-cum-Helper in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal (Cook-cum-Helper), Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** - The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualifications.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cook-cum-Helper.	10* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 3 (Rs. 21700-69100/-).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

13

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By Deputation.	<p><b>Deputation.-</b></p> <p>Officers under the Central or the State Government:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) working as Constable (Cook) on regular basis in Central Police Organisation or Central Armed Police Forces or State Police Organisation; or</p> <p>(iii) Assistant Halwai-cum-Cook with three years' regular service in level-2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience,-</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass with diploma or certificate in catering from a recognised Board or Institute;</p> <p>(ii) Two years' experience of working as Cook-cum-Helper in Government Department or undertaking preferred.</p> <p><b>Note 1.-</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2.-</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Not applicable.	Not applicable.

[F. No. 23011/133/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

सा.का.नि. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में प्रयोगशाला परिचारक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (प्रयोगशाला परिचारक), भर्ती नियम, 2018 हैं।





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2017/फाल्गुन 10, 1938

No. 150]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2017/PHALGUNA 10, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2017

सा.का.नि. 184(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में बिजली मिस्त्री के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, बिजली मिस्त्री, भर्ती नियम, 2017 हैं।  
(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.—वह व्यक्ति -  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वास्तव आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विजली मिस्त्री	01* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित	स्तर 5	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्र अथवा राज्य सरकार में कार्य कर रहे ऐसे अधिकारी:- (i) जो अपने मूल विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित हो; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुका हो; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता व अनुभव रखता हो:- आवश्यक: (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विद्यालय से 10 वीं पास अथवा समकक्ष। (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण मंस्थान से इलैक्ट्रीशियन में डिप्लोमा। वांछनीय: (i) इलैक्ट्रिकल पर्यवेपक द्वारा दक्षता संबंधी प्रमाणपत्र के साथ सरकारी संगठन में इलैक्ट्रीशियन के रूप में तीन वर्ष की सेवा का अनुभव। (ii) कंप्यूटर कार्य का ज्ञान रखता हो। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 23011/221/2016-पीटी]

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव (पुलिस-1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2017

G.S.R. 184(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Electrician, Central Academy for Police Training, Bhopal in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Electrician, Central Academy for Police Training, Bhopal, Bureau of Police Research and Development, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. —The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Electrician	01* (2017)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 5	Not applicable	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government or the State Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre; or (ii) with five years' regular service in posts in Level 4 in the pay matrix; and</p> <p>(b) possession of the following educational qualification and experience: -</p> <p><b>Essential:</b> (i) Matriculation or equivalent from a recognised board or school; and (ii) Industrial Training Institute Diploma in electrician trade.</p> <p><b>Desirable:</b> (i) Electrical Supervisor certificate of competency with three years' experience as an electrician in a Government organization; and (ii) possessing working knowledge of computer.</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Not applicable	Not applicable

[F. No. 23011/221/2016-PT.]  
KUMAR ALOK, Jt. Secy. (Police-1)



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2017/चैत्र 17, 1939

No. 270]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2017/CHAITRA 17, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2017

**सा.का.नि. 337(अ).**—राष्ट्रपति, मंत्रिधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक भर्ती नियम, 2017 हैं

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों में उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उमर में संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिमका पति या जिमकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

1990 GI/2017

(1)

21

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वास्तव आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य गियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक	4* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित	स्तर 3	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य हर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक हर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो; अर्थात्	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

23

## SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Level in the Pay	Whether selection post or non-	Age limit for direct
---------------	-----------------	-----------------	----------------------	--------------------------------	----------------------

24

preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

**Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. 23011/219/2016-PT]

KUMAR ALOK, Jt. Secy. (Police-I)



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2017/ ज्येष्ठ 5, 1939

No. 422]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2017/ JYAISTHA 5, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2017

सा.का.नि. 521(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में हैड कांस्टेबल के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो हैड कांस्टेबल भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि. — उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति. —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।



5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हैड कांस्टेबल	15* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय। (योधक)	लेवल 4 (रू. 25500-81100/-)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय या राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हो; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 (रू.21700-69100/-) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; अथवा (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (रू.19900-63200/-) में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो: आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा पास; (ii) निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से किसी एक को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो: - (क) ट्रेनिंग अनुदेशक अथवा शस्त्र एवं युक्ति अथवा शारीरिक प्रशिक्षण अथवा निःशस्त्र मुठभेड़ अथवा मैप रीडिंग अथवा फील्डक्राफ्ट। (ख) चिकित्सा श्रेणी - शेष-1. वांछनीय: (i) केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में एक वर्ष के कार्य का अनुभव। (ii) किसी खेल/गेम में दक्षता। (iii) 50 वर्ष से कम आयु को वरियता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

<p>टिप्पण 1. - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2. - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

[फा. सं. 23011/209/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th May, 2017

**G.S.R. 521(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Constable, Central Academy for Police Training, Bhopal, in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Head Constable, Central Academy for Police Training, Bhopal, Bureau of Police Research and Development, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** - The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Head Constable</b>	<b>15*</b> (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Level 4 (Rs. 25500-81100/-).	Not applicable	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation</b></p> <p>Officers of the Central or the State police organisation:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) with five years' regular service in level 3 (Rs. 21700-69100/-) in the pay matrix; or</p> <p>(iii) with eight years' regular service in level 2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) 10<sup>th</sup> class pass from recognised Board; and</p> <p>(ii) successfully completed any one of the following course: -</p> <p>(A) Drill Instructor or weapon and tactics or physical training or unarmed combat or Map reading or field craft;</p> <p>(B) Medical Category-SHAPE-1.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>(i) one year of working experience in any Central or State police training institute;</p> <p>(ii) proficiency in any game or sports;</p> <p>(iii) age preferably below 50 years.</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 50 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Not applicable	Not applicable

[F. No. 23011/209/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2017/ ज्येष्ठ 5, 1939

No. 423]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2017/ JYAISTHA 5, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2017

सा.का.नि. 522(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में कांस्टेबल (बैंड प्लाटून) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, कांस्टेबल (बैंड प्लाटून) भर्ती नियम, 2017 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

3378 GI/2017

(1)

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कांस्टेबल (बैंड प्लाटून)	19* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	लेवल 3 (रू.21700-69100/-)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय या राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हों; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (रू.19900-63200/-) में तीन वर्ष नियमित सेवा की हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक शैक्षिक आर्हताएं और अनुभव रखता हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा पास; (ii) किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बैंड यंत्रों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हों; (iii) सेना अथवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बैंड में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1. - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 23011/79/2013-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2017/माघ 26, 1938

No. 106]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2017/MAGHA 26, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 129(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में सिपाही के पद पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, (सिपाही) भर्ती नियम, 2017 हैं।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल - उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति -जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिपाही	30* (2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर सचिवीय (योधक)	स्तर 3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्र अथवा राज्य पुलिस संगठनों में कार्य कर रहे ऐसे अधिकारी: - (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारित हो; अथवा (ii) वे मैट्रिक्स के लेवल 2 में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुका हो; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं व अनुभव रखता हो: - (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं पास; और (ii) मेडिकल श्रेणी- शेष-1. वांछनीय:- (i) किसी केंद्र अथवा राज्य पुलिस संगठन में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव। (ii) डिप्लोमा और शस्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त तथा युक्ति व बिना शस्त्र के युद्ध अथवा शारीरिक प्रशिक्षण। (iii) किसी खेल या खेल-कूद में दक्षता। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 23011/208/2016-पीटी]

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव (पुलिस-I)

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2017

**G.S.R. 129(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Constable, Central Academy for Police Training, Bhopal, in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely: -

**1. Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Constable, Central Academy for Police Training, Bhopal, Bureau of Police Research and Development, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post (1)	Number of post (2)	Classification (3)	Level in the pay matrix (4)	Whether selection post or non-selection post (5)	Age limit for direct recruits (6)
Constable	30* (2017)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Level 3	Not applicable	Not applicable.



Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation :</b> Officers of the Central or the State police organisation: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years' regular service in level 2 in the pay matrix; and and (b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p><b>Essential:</b> (i) 10<sup>th</sup> class pass from recognised Board; and (ii) Medical Category-SHAPE-I.</p> <p><b>Desirable:</b> (i) one year of working experience in any Central or State police organisation; (ii) undergone training in drill or weapons and tactic or unarmed combat or physical training; and (iii) proficiency in any games or sports.</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Not applicable	Not applicable

[F. No. 23011/208/2016-PT]

KUMAR ALOK, Jt. Secy. (Police-I)



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369]

No. 369]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 13, 2017/वैशाख 23, 1939

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 13, 2017/VAISAKHA 23, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2017

सा.का.नि. 464(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में में साईस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (साईस), भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
साईस	15 (2017) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 3 (रु. 21700-69100/-)	नागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय या राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हो; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (रु.19900-63200/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; अथवा (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (रु.18000-56900/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; अथवा (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो; अर्थात् (i) आवश्यक: 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। (ii) वांछनीय: (क) सरकारी अस्तबल या मान्यता प्राप्त रेस क्लब या रजिस्ट्रीकृत स्टड फार्म में घोड़ों को संभालने का 2 वर्ष का अनुभव; और (ख) कमांडेंट का प्रमाण पत्र कि अभ्यर्थी के पास घोड़ों को संभालने या संगठन में साईस की ड्यूटी करने का 2 वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1. - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
टिप्पण 2. - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं.- 23011/206/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 12<sup>th</sup> May, 2017

**G.S.R. 464(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Syce, in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely: -

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Academy for Police Training, Bhopal (Syce), Recruitment Rules, 2017.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualifications.**—No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to the said post:  
Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.
- Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)	(6)
Syce.	15* (2017).	General Central Service Group 'C', Non-	Level 3. (Rs. 21700- 69100/-).	Not applicable.	Not applicable.

	*Subject to variation dependent on workload.	Gazetted, Non-Ministerial.			
--	--	----------------------------	--	--	--

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption Level from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation.</b></p> <p>Officers under the Central or State Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre; or</p> <p>(ii) three years' of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level 2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) five years' of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level 1 (Rs. 18000-56900/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing following educational qualifications and experience, namely: -</p> <p>(i) Essential: class 10th pass certificate or equivalent.</p> <p>(ii) Desirable: (A) two years' experience in handling horse in government stable or recognised Race club or registered stud farm; or</p> <p>(B) certificate from commandant that individual having two years' experience in handling of horse or duties of Syce in the organisation.</p> <p><b>Note 1.-</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2.</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Not applicable.	Not applicable.

[F. No. 23011/206/2016-PT]  
 AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2017/माघ 26, 1938

No. 105]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2017/MAGHA 26, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 128(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में प्रशिक्षण परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, प्रशिक्षण परिचर, भर्ती नियम, 2017 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशिक्षण परिचर	08* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर सचिवीय	स्तर 3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्रीय पुलिस संगठनों अथवा राज्य पुलिस संगठनों में कार्य कर रहे ऐसे अधिकारी:— (क) (i) जो अपने मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित हो; अथवा (ii) पे मैट्रिक्स के लेवल 2 में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुका हो; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं व अनुभव रखता हो:—	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

<p>आवश्यक:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।</p> <p>(ii) कंप्यूटर कार्य का ज्ञान रखता हो।</p> <p>वांछनीय:- (i) किसी केंद्र अथवा राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 – प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 – ऐसे मामले में जहां अभ्यर्थी अधिक योग्य हैं तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से योग्यताओं को शिथिल कर सकता है।</p>	
---	--

[फा. सं. 23011/210/2016-पीटी]

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव (पुलिस-I)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2017

**G.S.R. 128(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Training Attendant, Central Academy for Police Training, Bhopal in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Training Attendant, Central Academy for Police Training, Bhopal, Bureau of Police Research and Development, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** – The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.



## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Training Attendant	08* (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 3	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation :</b></p> <p>Officers of the Central or State Government or Central Police Organisation or the State Police organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre, (ii) with three years' regular service in level 2 in the pay matrix; and</p> <p>(b) Possessing the following qualifications:</p> <p><b>Essential:</b> (i) Class 10<sup>th</sup> pass from recognised Board; and (ii) Possessing working knowledge of computer.</p> <p><b>Desirable:</b> One year experience in any Central or State Police Training Institute.</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> Qualification are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p>	Not applicable	Not applicable

[F. No. 23011/210/2016-PT]

KUMAR ALOK, Jt. Secy. (Police-I)

1

	<p><b>Desirable:</b></p> <p>(i) Ability to prepare hooves of horse for fitting horse shoes, to make horse shoes and nails.</p> <p>(ii) two years' experience in shoeing horses either in Army or Central Police Organisations or Central Para Military Forces or Central Armed Police Forces or Central or State Police Organisation or registered racing club or registered stud farm.</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2.:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--

[F.No. 23011/207/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

**सा.का.नि. 303.**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में बेतार ऑपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (बेतार ऑपरेटर), भर्ती नियम, 2017 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम (1)	पदों की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)
बेतार ऑपरेटर	01* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)	चयन पद अथवा अचयन पद (5)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा (6)
स्तर 5 (29200-92300/-रु.)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आर्हताएं (7)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं (8)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो (9)	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा (11)	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना (12)	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय पुलिस संगठनों अथवा राज्य पुलिस संगठनों में कार्य कर रहे ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो नियमित आधार पर अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में सदृश पद धारित हो; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/- रु.) में अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा कर चुका हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो:-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

47

<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण अथवा समतुल्य।</p> <p>(ii) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में रेडियो पर्यवेक्षक अथवा हेड कांस्टेबल (रेडियो) का पांच वर्ष का अनुभव रखता हो।</p> <p>(iii) कंप्यूटर का कार्यकारी ज्ञान रखता हो।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>किसी सरकारी विभाग में रेडियो टेलिफोन ऑपरेटर अथवा बेतार ऑपरेटर अथवा समन्वयक पुलिस बेतार निदेशालय अथवा जिला अथवा राज्य में नियंत्रण कक्ष को संभालने का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

[फा. सं. 23011/217/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2017

**G.S.R. 303.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Wireless Operator in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal (Wireless Operator), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post (1)	Number of post (2)	Classification (3)
Wireless Operator	01* (2017)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

Level in the pay matrix (4)	Whether selection post or non-selection post (5)	Age-limit for direct recruits (6)
Level - 5 (Rs. 29200-92300/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits (7)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (8)	Period of probation, if any (9)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods (10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made (11)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition (12)	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment (13)
<p><b>Deputation:</b> Officers of the Central or State Police Organisation: - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 (Rs. 25500-81100/-) in the Pay Matrix in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- <b>Essential:</b> (i) 12<sup>th</sup> Class or equivalent pass from a recognised Board; (ii) five years' experience as Radio Supervisor or Head Constable (radio) in the parent cadre or department. (iii) working knowledge of computer. <b>Desirable:</b> One-year experience in handling District or State control rooms or Directorate of Coordination Police Wireless or Wireless Operation</p>	Not applicable	Not applicable

48

or Radio Telephone Operation in a Government Organisation.		
<b>Note 1:</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
<b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/217/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय**

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

(प्रशिक्षण प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

**सा.का.नि. 304.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्यालय स्थापना समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ तक उनका संबंध स्टाफ कार झाइवर के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में स्टाफ कार झाइवर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, स्टाफ कार झाइवर श्रेणी-1, श्रेणी-2 और (सामान्य श्रेणी), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

**3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता.**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति का इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

<p>which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment: (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	
--	--

[F. No. A.12022/02/2014-Ad.II ]

AMARENDRA SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

**सा.का.नि. 301.**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में परिचर्या अर्दली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (परिचर्या अर्दली), भर्ती नियम, 2017 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिचर्या अर्दली	02* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 3 (21700-69100/- रु.)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी: -</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में सदृश पद धारित हो; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200/- रु.) में अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुका हो; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो।</p> <p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समतुल्य हो।</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल से परिचर्या अर्दली अथवा परिचर्या सहायक का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।



है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
<b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 23011/78/2013-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2017

**G.S.R. 301.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Nursing Orderly in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal (Nursing Orderly), Recruitment Rules, 2017.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.
4. **Disqualifications.**—No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post (1)	Number of post (2)	Classification (3)
Nursing Orderly	02* (2017)  *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

Level in the pay matrix (4)	Whether selection post or non-selection post (5)	Age-limit for direct recruits (6)
Level - 3 (Rs. 21700-69100/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits (7)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (8)	Period of probation, if any (9)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods (10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation:</b></p> <p><b>Officers of the Central or the State Government: -</b></p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) who have rendered three years' service after appointment thereto on regular basis in the level- 2 (Rs. 19900-63200/-) in the Pay Matrix in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience: -</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.</p> <p>(ii) Three years' working experience as nursing orderly or nursing assistant in any recognised hospital.</p> <p><b>Note 1 :</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Not applicable	Not applicable

[F. No. 23011/78/2013-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

**सा.का.नि. 302.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में फेरियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (फेरियर), भर्ती नियम, 2017 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति:**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति:**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
फेरियर	02* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिदीय।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
स्तर 3 (21700-69100/- रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्रीय पुलिस संगठनों अथवा राज्य पुलिस संगठनों में कार्य कर रहे कांस्टेबल पंक्ति के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो नियमित आधार पर अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में सदृश पद धारित हो; अथवा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

<p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200/- रु.) में अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुका हो; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं व अनुभव रखता हो।</p> <p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समतुल्य।</p> <p>(ii) प्रशिक्षित फेरियर जो ठंडी और गर्म नाल लगाने में विशेष रूप से प्रशिक्षित हो।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>(i) जो घोड़े के खुर के लिए उपयुक्त नाल, नाखून बनाने की योग्यता रखता हो।</p> <p>(ii) सेना अथवा केंद्रीय पुलिस संगठनों अथवा केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों अथवा केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों अथवा मान्यता प्राप्त रेस क्लब अथवा रजिस्ट्रीकृत स्टड फार्म में घोड़ों को नाल लगाने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

[फा. सं. 23011/207/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2017

**G.S.R. 302.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Ferrier in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal (Ferrier), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

567

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ferrier	02* (2017)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 3 (Rs. 21700-69100/- )	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	<p><b>Deputation:</b></p> <p>Officer of the rank of constable from Central Police Organisations or State Police Organisations: -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with three years regular service in the level-2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience.</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.</p> <p>(ii) Trained ferrier with special training in hot and cold shoeing.</p>	Not applicable	Not applicable

	<p><b>Desirable:</b></p> <p>(i) Ability to prepare hooves of horse for fitting horse shoes, to make horse shoes and nails.</p> <p>(ii) two years' experience in shoeing horses either in Army or Central Police Organisations or Central Para Military Forces or Central Armed Police Forces or Central or State Police Organisation or registered racing club or registered stud farm.</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2.:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--

[F.No. 23011/207/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

**सा.का.नि. 303.**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में बेतार ऑपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (बेतार ऑपरेटर), भर्ती नियम, 2017 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

58  
72

		<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.</p> <p>(ii) attended a course in weapons and tactics or field craft.</p> <p>(iii) two years' experience in operational or field duties.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>(i) attended a training course in Drill or Un-Armed Combat.</p> <p>(ii) two years' experience of working in Demo Platoon in a Police Training Institute.</p> <p>(iii) excelled in any games or sports.</p> <p>(iv) medical category Shape-1.</p> <p>(v) age preferably not more than forty-five years (as younger personnel are required for field exercises.)</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	
--	--	--	--

[F. No. 23011/215/2016-PT]  
AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

श्री. का. नि. 458-राष्ट्र. वि. विभाग के अंतर्कक्ष 309 के पर्यटक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस अनुसंधान और विकास यू.पी. गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भीपाल में पर्य-विक्रिसा कम्पाउंडर के पद पर शर्तों की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **शिक्षण नाम और पराम.-**(1) इन नियमों का शक्ति नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भीपाल, (पर्य-विक्रिसा कम्पाउंडर) शर्तों नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन श्रेणियाँ** में स्तर-पद की संख्या, चयनका वर्गीकरण और वेतन श्रेणियाँ में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तर (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **शर्तों की पद्धति, आय-सीमा, अर्हताएं आदि** शर्तों की पद्धति, आय-सीमा, अर्हताएं और चयन संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उपबद्ध अनुसूची के स्तर (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

## 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति, —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पशु-चिकित्सा कम्पाउंडर	01* (2017) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 5 (29200-92300/- रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हों; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास या समतुल्य और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पशुओं के इलाज में पशुचिकित्सक के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र; तथा</p> <p>(ii) पशु-चिकित्सा कम्पाउंडर के रूप में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>



यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. 23011/204/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21<sup>st</sup> December, 2017

**G.S.R. 458.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Veterinary Compounder in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal (Veterinary Compounder) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Veterinary Compounder	01* (2017)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 5 (Rs. 29200-92300/-).	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	<p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central or the State Government, -</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p>(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board and a veterinary course certificate in equine treatment from a recognised institute; and</p> <p>(ii) two years' work experience as veterinary compounder.</p> <p><b>Note 1 :</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Not applicable	Not applicable

[F. No. 23011/204/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 459.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में भिश्ती (बाह्य प्रशिक्षण गतिविधियां) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में भिश्ती (बाह्य प्रशिक्षण गतिविधियां) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

Bhishi

61

62

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	<p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central or the State Government, -</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p>(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board and a veterinary course certificate in equine treatment from a recognised institute; and</p> <p>(ii) two years' work experience as veterinary compounder.</p> <p><b>Note 1 :</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Not applicable	Not applicable

[F. No. 23011/204/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017.

सा.का.नि. 459.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में भिश्ती (बाह्य प्रशिक्षण गतिविधियाँ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में भिश्ती (बाह्य प्रशिक्षण गतिविधियाँ) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति, -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गिश्ती (बाह्य प्रशिक्षण गतिविधियां)।	02* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसूचित, गैर योद्धक।	स्तर 3 (21700-69100/- रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिदीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

#### प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी:-

- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हों; या  
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200 रु.) में अपने मूल काडर या विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या  
(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 रु.) में अपने मूल काडर या विभाग में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और  
(iv) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास या समतुल्य हो।

**टिप्पणी 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काब्र बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन् परिस्थितियों में सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. 23011/205/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21<sup>st</sup> December, 2017

**G.S.R. 459.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Bhisti (Outdoor Training Activities) in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal [Bhisti(Outdoor Training Activities)] Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bhisti (Outdoor Training Activities).	02* (2017)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial Non-Combatised.	Level - 3 (Rs. 21700-69100/-).	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	<p><b>Deputation:</b></p> <p>Officer of the Central or State Government: -</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with three years' regular service in the level 12 (Rs. 19900-63200/-) in the Pay Matrix in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with five years' regular service in the level 1 (Rs. 18000-56900) in the Pay Matrix in the parent cadre or Department; and</p> <p>(iv) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Not applicable	Not applicable

[F. No. 23011/205/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 460.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में आशुलिपिक श्रेणी-III के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, (आशुलिपिक श्रेणी-III) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

# Constable (Demo)

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : दिसम्बर 23, 2017/पौष 2, 1939

2015

11	<p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
----	--	--

[फा. सं. 23011/183/2016-पी.टी.]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 21<sup>st</sup> December, 2017

**G.S.R. 456.**—In partial modification of the Ministry of Home Affairs, Bureau of Police Research and Development (Senior Investigator) Recruitment Rules, 2016, published in the Gazette of India (Extra Ordinary), vide G.S.R. 934(E) dated 30<sup>th</sup> September, 2016, the entries made under Column (7) and Column (11) of the Schedule may be read, with retrospective effect, as follows: -

Column No.	For	Read
7	<p><b>Essential:</b> <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Schedule Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	<p><b>Essential:</b> <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Schedule Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
11	<p><b>Deputation:</b> <b>Note 2:</b> Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed four years.</p>	<p><b>Deputation:</b> <b>Note 2:</b> Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.</p>

[F. No. 23011/183/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 457.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में सिपाही (डेमो प्लाटून) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

66

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल सिपाही, (डेमो प्लाटून) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम (1)	पद संख्या (2)	वर्गीकरण (3)
सिपाही (डेमो प्लाटून)	10* (2017) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसंधिवीय (योधक)।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)	चयन या अचयन पद (5)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा। (6)
स्तर 3 (21700-69100/- रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। (7)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। (8)	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। (9)	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। (10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति



प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	
(11)	
प्रतिनियुक्ति -	
केंद्रीय पुलिस संगठनों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी:-	
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हों; या	
(ii) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200 रु.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा किये हों; और	
(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-	
आवश्यक :	
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास या समतुल्य ।	
(ii) शस्त्र और युक्तियों या फील्ड-क्राफ्ट से सम्बंधित पाठ्यक्रम में भाग लिया हो ।	
(iii) संचालन या फील्ड ड्यूटी का दो वर्ष का अनुभव ।	
वांछनीय :	
(i) ड्रिल या बिना-शस्त्र युद्ध के प्रशिक्षण में भाग लिया हो ।	
(ii) किसी पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में डेमो प्लाटून के रूप में दो वर्ष के कार्य का अनुभव ।	
(iii) किसी खेल या खेल-कूद में दक्षता ।	
(iv) चिकित्सा श्रेणी शेष-1	
(v) आयु 45 वर्ष से अधिक न हों ( चूंकि फील्ड अभ्यास के लिए कम आयु वाले कार्मिक अपेक्षित हैं) ।	
टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	
टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. 23011/215/2016--पी.टी.]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21st December, 2017

**G.S.R. 457.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Constable (Demo Platoon) in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal, Constable (Demo Platoon), Recruitment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.
- Disqualifications.**—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Constable (Demo Platoon).	10* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial Combatised.	Level - 3 (Rs. 21700-69100/-).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	<b>Deputation:</b> Officer of the Central Police Organisations or Central Armed Police Forces or State Police Organisations: - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' regular service in level 2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: -	Not applicable	Not applicable

	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.</p> <p>(ii) attended a course in weapons and tactics or field craft.</p> <p>(iii) two years' experience in operational or field duties.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>(i) attended a training course in Drill or Un-Armed Combat.</p> <p>(ii) two years' experience of working in Demo Platoon in a Police Training Institute.</p> <p>(iii) excelled in any games or sports.</p> <p>(iv) medical category Shape-1.</p> <p>(v) age preferably not more than forty-five years (as younger personnel are required for field exercises.)</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--

[F. No. 23011/215/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 458.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में पशु-चिकित्सा कम्पाउंडर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, (पशु-चिकित्सा कम्पाउंडर) भर्ती नियम, 2017 है।  
(2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 455.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (ड्राइवर) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम (1)	पद संख्या (2)	वर्गीकरण (3)
ड्राइवर	15* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)	चयन या अचयन पद (5)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा (6)
स्तर 3 (21700-69100/- रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं (7)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं (8)	परिवीक्षा की अवधि, कोई हो (9)	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

3/11/17  
19/11/17

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति:—

केंद्रीय पुलिस संगठनों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी:—

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:—

आवश्यक:

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।

(ii) भारी और हल्के मोटर यान और गियर वाली मोटर साइकिल का वाणिज्यिक चालन अनुज्ञप्ति हो।

(iii) चालन रिकॉर्ड साफ हो (दुर्घटना रहित)।

(iv) चिकित्सा श्रेणी शेष—।

(v) यान चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय : मोटर यान की देख रेख सहित नए इंजन तकनीकी (पेट्रोल अथवा डीजल) का अनुभव।

टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु—सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. 23011/214/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21<sup>st</sup> December, 2017

**G.S.R. 455 .—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Driver in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal (Driver), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Driver	15* (2017)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 3 (Rs. 21700-69100/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	<p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers of the Central Police Organisations, Central Armed Police Forces or State Police Organisations: -</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational and experience:-</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass from a recognized board.</p> <p>(ii) having a commercial driving license for heavy and light motor-vehicle and motor cycle with gears.</p> <p>(iii) clean driving records (no accidents).</p>	Not applicable	Not applicable

	<p>(iv) Medical category Shape-I</p> <p>(v) Minimum three years' driving experience.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>(vi) Experience in Motor vehicle maintenance including knowledge of new engine technology (Petrol or Diesel).</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation, including the period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2 :</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	---	--	--

[F. No. 23011/214/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

## शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 456.—सा.का.नि. 934 (अ) दिनांक 30 सितम्बर 2016 द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित पुलिस अनुसन्धान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के ज्येष्ठ अन्वेषक भर्ती नियम 2016, में आंशिक संशोधन करते हुए अनुसूची के अंतर्गत स्तम्भ (7) और स्तम्भ (11) की प्रविष्टियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से निम्नवत पढ़ा जाए:-

स्तंभ	के स्थान पर	यह पढ़ा जाये
7	<p><b>टिप्पण 1 :</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	<p><b>टिप्पण 1 :</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, इसके लिए जो भी कारण है उन्हें लेखबद्ध करते हुए, शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, इसके लिए जो भी कारण है उन्हें लेखबद्ध करते हुए, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By Deputation.	<p><b>Deputation.-</b></p> <p>Officers under the Central or the State Government:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) working as Constable (Cook) on regular basis in Central Police Organisation or Central Armed Police Forces or State Police Organisation; or</p> <p>(iii) Assistant Halwai-cum-Cook with three years' regular service in level-2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience,-</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Matriculation or equivalent pass with diploma or certificate in catering from a recognised Board or Institute;</p> <p>(ii) Two years' experience of working as Cook-cum-Helper in Government Department or undertaking preferred.</p> <p><b>Note 1.-</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2.-</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Not applicable.	Not applicable.

[F. No. 23011/133/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 75.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में प्रयोगशाला परिचारक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (प्रयोगशाला परिचारक), भर्ती नियम, 2018 है।



(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रयोगशाला परिचारक।	03* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 1 (रु. 18000-56900/-)।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p><b>प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) जो नियमित आधार पर अपने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारित किए हों; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात:-</p> <p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं पासा</p> <p>(ii) फोटो या रासायनिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>(i) मान्यताप्राप्त संस्था से कंप्यूटर अनुप्रयोग में 6 महीने का पाठ्यक्रम।</p> <p><b>टिप्पण 1.-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2.-</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

[फा सं. 23011/157/2017-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 7<sup>th</sup> March, 2018

**G.S.R. 75.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Attendant in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal (Laboratory Attendant) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** - The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laboratory Attendant.	03* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 (Rs. 18000-56900)	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation.	<b>Deputation:</b> Officers under the Central Government or the State Government: (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or	Not applicable	Not applicable.

	<p>department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience namely:-</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) 12<sup>th</sup> Class pass from a recognised board.</p> <p>(ii) one year's experience of working in photo or chemical or electronic laboratory.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>(i) Six months' Certificate course in Computer application from a recognised Institute.</p> <p><b>Note 1.-</b> The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2.-</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--

[F. No. 23011/157/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)**

**आदेश**

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 76.**—चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के नियम 18 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 21 के अधीन केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के निम्नलिखित निरीक्षकों को एतद्वारा उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए, समस्त भारत हेतु, तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक चिकित्सा उपकरण अधिकारी विनिर्दिष्ट करती है-

1. श्री अभिषेक चावला
2. डॉ. पी. मानावालां
3. श्री योगेश काशीनाथ शेलार
4. श्री विनोद कुमार
5. सुश्री श्रद्धा श्रीवास्तव
6. श्री वी. राजप्पन
7. सुश्री सरला देवी बपनापल्ली
8. श्री प्रमोद मधुकर पाटिल